संख्या : 19 / XVII(1)-03 / 2007–102(सै.क.) / 2002

प्रेषक,

एस. के. दास,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

3. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तराखण्ड।

4. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

5. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

6. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–03. देहरादून, 16 जनवरी 2007

विषय : उपसुल के माध्यम से संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के वेतनमान एवं भत्तों का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1158 / XVII(1)–09(11) / 2004, दिनांक 04 अगस्त 2004 एवं शासनादेश संख्या–900 / XVII(1)-03 / 2005–09(102) / 2005, दिनांक 24 मई 2005 के क्रम में निम्नांकित विवरण के अनुसार उपसुल के माध्यम से संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के वेतनमान एवं भत्तों को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार पुनरीक्षित किए जाने का मुझे निर्देश हुआ है–

क्रमांक	कार्मिकों की श्रेणी	कुल वेतनमान	सर्विस चार्ज {a पर 12% की दर से}	योग (a+b)	सर्विस टैक्स {c पर 12.36 ~~12.24~~% की दर से}	उपसुल को कुल देय धनराशि
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	सिक्योरिटी गार्ड / सुरक्षा गार्ड / मीटर रीडर / आबकारी सिपाही चौकीदार / वन चौकीदार / चतुर्थ श्रेणी / प्लम्बर / फिटर / इलेक्ट्रिशियन / अटेण्डेन्ट / सफाई कर्मचारी / सफाई नायक / हाउसकीपर / बेलदार / अनुसेवक / कुक / पियोन / वार्ड ब्याय / वार्ड आया / माली और ऐसे प्रकार के कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए।	4700	564	5264	644	6908
2	गनमैन / सशस्त्र सुरक्षा गार्ड / ड्राइवर / टी.जी.–2 / ड्राइवर कम रनर / कल्याणकर्ता और ऐसे प्रकार के कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए।	5700	684	6384	781	7165

3	सुपरवाइजर/गार्ड कमांण्डर/लिपिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर/कम्प्यूटर डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/डाटा फीडर/टेलीफोन टैक्निशियन/टेलीफोन पी.बी.एक्स.ओ./स्टोरकीपर/लेखाकार/रिसेप्शनिष्ट और ऐसे प्रकार के कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए।	6550	786	7336	898	8234

2. क्रमांक–01 एवं 02 के कुल वेतनमान में ई.पी.एफ./इन्श्योरेन्स/मेडिकल/एक्स.ग्रेसिया पेमेन्ट/ई.एस.आई./बोनस/टरमिनल ग्रेच्युटी इत्यादि सम्मिलित हैं। ई.पी.एफ./इन्श्योरेन्स/मेडिकल/एक्स.ग्रेसिया पेमेन्ट/ई.एस.आई. आदि की कटौती कर शेष धनराशि कार्मिकों के बैंक खाते में जमा होगी।

3. क्रमांक–03 पर ई.पी.एफ. की कटौती अनिवार्य नहीं बल्कि ऐच्छिक होगी। कुल वेतनमान में ई.पी.एफ./इन्श्योरेन्स/मेडिकल/एक्स.ग्रेसिया पेमेन्ट/ई.एस.आई. आदि सम्मिलित हैं। जो कटौती कर शेष धनराशि का कार्मिकों के खाते में जमा होगी।

4. उपसुल से नियुक्त समस्त अधिकारी/कार्मिक केवल संविदा पर कार्य करेंगे। संविदा हेतु वरियता के आधोर पर वीर नारियाँ, पूर्व सैनिक, उनकी धर्मपत्नी/आश्रित (अविवाहित पुत्री तथा पुत्र 25 वर्ष की आयु तक) नियुक्ति पा सकेंगे। किसी विशेष स्थिति में यदि यह सब उपलब्ध न हों, तो शैक्षिक/तकनीकी योग्यता और अनुभव के आधार पर अन्य केवल अन्तरिम समय के लिये संविदा पर कार्य करेंगे।

5. उपसुल के कार्मिकों को यात्रा/दैनिक भत्ता, कार्यरत विभाग के समतुल्य पद के सापेक्ष अनुसार देय होगा। इस पर किसी प्रकार का सर्विस चार्ज देय नहीं होगा।

6. उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या–1158/XVII(1)–09(11)/2004, दिनांक 04 अगस्त 2004 एवं शासनादेश संख्या–900/XVII(1)-03/2005–09(102)/2005, दिनांक 24 मई 2005 की शर्त एवं प्रतिबन्ध/प्रावधान यथावत् रहेंगे।

7. सर्विस टैक्स की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर पुनरीक्षित किए जाने के अनुसार परिवर्तित होगी।

8. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–1388 /XXVII(3)/2007, दिनांक 15 जनवरी 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस. के. दास)
मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : (1)/XVII(1)-03/2007–102(सै.क.)/2002, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।